झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण राजकीय/अराजकीय/अल्पसंख्यक नियमित (दो वर्षीय सेवाकालीन, यदि हो तो, सहित) परीक्षा, 2023 के लिए पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा करने संबंधी सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 42/2023

एतद् द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा मान्यता प्राप्त एवं इस परिषद् से सम्बद्ध राजकीय/अराजकीय/अल्पसंख्यक प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य/प्राचार्या, प्रशिक्षुओं एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि संबंधित प्राचार्य द्वारा उपलब्ध कराये गये नामांकन पंजी के आधार पर प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा शिक्षा सत्र 2017-2019, 2019-2021, 2020-22 एवं शिक्षा सत्र 2021-2023 (साथ ही गत वर्ष के वैसे प्रशिक्षु, जिन्होंने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है एवं पंजीयन नहीं करा सके हैं) (सत्र 30 अगस्त, 2023 तक पूरा होने की स्थिति में) के लिए पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन जमा कराने का निर्णय लिया गया है। ऑनलाइन पंजीयन प्रपत्र, परीक्षा आवेदन प्रपत्र एवं बैंक में शुल्क संबंधी चालान जमा करने की तिथि निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:-

	ऑनलाइन पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने एवं चालान जेनरेट करने की तिथि	चालान के माध्यम से बैंक में शुल्क जमा करने की तिथि
विलम्ब शुल्क रहित	14.08.2023 से 22.08.2023 तक	24.08.2023 तक
विलम्ब शुल्क सहित	23.08.2023 से 26.08.2023 तक	28.08.2023 तक

उक्त तिथि के पश्चात् पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन की कार्रवाई नहीं की जाएगी। छात्रों का पंजीयन उपलब्ध कराये गये **नामांकन पंजी के अनुसार ही किया जा सकेगा एवं जिन छात्रों का पंजीयन होगा, उन्हीं छात्रों का परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरा जा सकेगा।**

(1) ऑनलाइन पंजीयन परिषद् के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in/jac के माध्यम से महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा। ऑनलाइन पंजीयन के चरण (Steps) **निम्नवत् हैं:-**

- महाविद्यालय प्रधान परिषद् के वेबसाइट पर उपलब्ध Registration & Examination form को Download कर सभी छात्रों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तदुपरान्त छात्र के द्वारा भरे हुए Form को विधिवत् जाँच करते हुए Online Registration form एवं Examination form भरेंगे। तदुपरान्त चालान जेनरेट कर Fee Payment करेंगे।
- Registration form एवं Examination form भरने की पूरी प्रक्रिया परिषद् के वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

2) **शुल्कादि का विवरण:-**

पंजीयन हेतु निर्धारित शुल्क	
(क) पंजीयन शुल्क - ₹700/-	(ग) पंजीयन विलम्ब शुल्क - ₹600/-
(ख) पंजीयन आवेदन प्रपत्र शुल्क - ₹300/-	(घ) आप्रवजन शुल्क - ₹400/-
परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा करने से संबंधित शुल्क	
(1)परीक्षा आवेदन प्रपत्र शुल्क - ₹250/-	(6)अंक पत्र शुल्क - ₹150/-
(2)परीक्षा शुल्क - ₹1100/-	(7)औपबंधिक प्रमाण पत्र शुल्क - ₹150/-
(3)परीक्षा विलम्ब शुल्क - ₹550/-	(8)प्रव्रजन प्रमाण पत्र शुल्क - ₹150/-
(4)लोकल लेवी - ₹350/-	(9)विविध शुल्क - ₹50/-
(5)प्रायोगिक परीक्षा शुल्क - ₹650/-	(10)पुनर्पंजीयन शुल्क - ₹900/-

ध्यातव्य कि चूँकि पंजीयन एवं परीक्षा आवेदन प्रपत्र एक ही साथ भरें जायेंगे, अतः इनसे संबंधित शुल्क भी एक साथ ही जमा लिया जायेगा। जिन छात्रों का शुल्क चालान के माध्यम से जमा किया जाएगा, परिषद् द्वारा सिर्फ उन्हीं छात्रों के पंजीयन एवं प्रवेश पत्र हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। महाविद्यालय प्रधान से यह अनुरोध होगा कि वे सभी छात्रों का एक साथ चालान जेनरेट करें, क्योंकि बैंक चार्ज के रूप में प्रति चालान 50/- रूपये देय होगा। एक साथ चालान जेनरेट करने से अनावश्यक व्यय से बचा जा सकता है।

3) राजकीय/अराजकीय/अल्पसंख्यक महाविद्यालय, ऊपर उल्लिखित शिक्षा सत्र के नियमित प्रशिक्षु पंजीयन एवं परीक्षा फार्म संबंधित प्रपत्र महाविद्यालय के माध्यम से जमा कर सकते हैं, जिनका सत्र पूरा हो चुका है और आन्तरिक मूल्यांकन का कार्य समाप्त हो गया है। ऐसे महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य को आवेदन के साथ निम्न कागजात/साक्ष्य परिषद् द्वारा मांगे जाने पर जमा करना अनिवार्य होगा:-

क) एन.सी.टी.ई. द्वारा दी गई प्रस्वीकृति संबंधी पत्र, जिस सत्र का परीक्षा होना है, की स्पष्ट, पठनीय एवं सत्यापित छायाप्रति।

ख) झारखण्ड अधिविद्य परिषद् से सम्बद्धता प्रदान करने संबंधी आदेश की स्पष्ट, पठनीय एवं सत्यापित छाया प्रति।

ग) पाठ्यक्रम एवं सत्र पूरा होने संबंधी घोषणा पत्र।

4). द्विवर्षीय पाठ्यक्रम अन्तर्गत प्रशिक्षण/नियमित शिक्षक प्रशिक्षु, जिनका प्रतिनियोजन सक्षम पदाधिकारी के द्वारा राजकीय आदेश के तहत विधिवत् रूप से किया गया है और जिनका सत्र पूर्ण और आन्तरिक मूल्यांकन 30.08.2023 तक समाप्त हो जाएगा, वैसे महाविद्यालय/संस्थान नियमित प्रशिक्षुओं का पंजीयन संबंधित महाविद्यालय के माध्यम से करा सकते हैं। संबंधित महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य सेवाकालीन प्रशिक्षुओं के पंजीयन आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर परिषद् में जमा करेंगे। साथ ही राजकीय आदेश की स्पष्ट, पठनीय एवं सत्यापित छायाप्रति जिसके तहत अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया गया हो एवं नियमित प्रशिक्षुओं का चयन सूची भी परिषद् में जमा करेंगे। महाविद्यालयों द्वारा समर्पित सभी प्रकार के अभिलेखों की सारी जिम्मेवारी संबंधित महाविद्यालय की होगी।

उल्लिखित कागजात के अभाव में तथा निर्धारित तिथि के बाद पंजीयन आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट:- एन.सी.टी.ई. द्वारा संबंधित महाविद्यालय/संस्था के लिए स्वीकृत सीट के अन्तर्गत ही नियमित प्रशिक्षुओं का पंजीयन किया जा सकेगा।

2) पंजीयन रसीद एवं एडमिट कार्ड वितरण तथा परीक्षा कार्यक्रम संबंधी सूचना बाद में विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशित की जायेगी।

3) पंजीयन प्रपत्र एवं परीक्षा फॉर्म से संबंधित सभी कागजात यथा-पंजीयन आवेदन प्रपत्र, परीक्षा प्रपत्र, चालान, समेकित विवरणी, आव्रजन प्रमाण पत्र इत्यादि फार्म भरने की अन्तिम तिथि के 07 दिनों के अन्दर परिषद् कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./- सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची।

ज्ञापांक JAC/PTT/2756/23/SECY/605/23
Dt. 10.08.2023
D.O.P: 11.08.2023